

कार्यालय आयुक्त  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/07/ पीएमटी-पीईटी/2020-21/1017

नवा रायपुर दिनांक 28/06/2021

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2013) के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में  
प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग  
संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकतम 100 (अनुसूचित जनजाति-64, अनुसूचित जाति-36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण किए हो तथा ड्राप लेकर प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजनांतर्गत ऐसे कोचिंग संस्थाओं से जो राज्य में संचालित हो जिनका इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री, विषय विशेषज्ञ तथा आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम हो उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। योजनांतर्गत चयनित कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए कोचिंग का समस्त व्यय, आवास एवं भोजन, पुस्तक, स्टेशनरी, चिकित्सा व्यय, प्रवेश परीक्षा शुल्क तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा दी जाती है।

कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

1. प्रथम बंद लिफाफा :- संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण।
2. द्वितीय बंद लिफाफा :- संस्था के तकनीकी योग्यता संबंधी विवरण।
3. तृतीय बंद लिफाफा :- वित्तीय लिफाफा।

इन तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के सही/पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होगा। जिसमें 70 प्रतिशत अधिभार तकनीकी योग्यता एवं 30 प्रतिशत वित्तीय मूल्यांकन का अधिभार देते हुए तकनीकी एवं वित्तीय का संयुक्त मूल्यांकन पश्चात् अंतिम मूल्यांकन के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा।


तकनीकी मूल्यांकन :- न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा :-

| क्र. | विवरण   | निर्धारित अंक |
|------|---|---------------|
| 1    | संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो   | 20            |
| 2    | संस्था द्वारा विगत 2 वर्षों में दी गई कोचिंग से आई.आई.टी., एन. आई.टी., नीट, एम्स, पी.ई.टी. तथा पी.एम.टी. इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का विवरण | 20            |
| 3    | शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण  | 10            |
| 4    | योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति   | 30            |
| 5    | समस्या समाधान के तरीके  | 20            |

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता, शर्तें, सुरक्षानिधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट [www.tribal.cg.gov.in](http://www.tribal.cg.gov.in) से अवलोकन अथवा Download कर सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईड से डाऊनलोड कर प्रस्तुत करने हेतु संस्थाओं को अपने प्रस्ताव के साथ रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रवती भवन, के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक का संलग्न करना होगा।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि - 26.07.2021, अपरान्ह 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना - 27.07.2021, अपरान्ह 3.00 बजे
3. पात्र पाए गए संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं समग्र मूल्यांकन - 28.07.2021 दोपहर 12.00 बजे

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधीकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट [www.tribal.cg.gov.in](http://www.tribal.cg.gov.in) से अवलोकन कर सकते हैं।

  
(डी.डी. सिंह)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

वर्ष 2021-22 में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण हेतु  
आवेदन पत्र

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक .....दिनांक.....के संदर्भ में)

भाग- एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

| क्र. | विवरण  | संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें |
|------|--|--|
| 1.   | (i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो।<br>(ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।<br>(iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। |  |
| 2.   | संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।  |  |
| 3.   | संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।  |  |
| 3.   | (i) प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 02 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा।<br>(ii) पिछले 02 वर्षों में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किए गए का विवरण (सत्यापित अभिलेख)   |  |
| 4.   | सुरक्षा निधि के रूप में रु 2.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. आर. 01 वर्ष की अवधि हेतु जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रवती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पक्ष में हो, संलग्न करना होना।   |  |

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर  
पद मुद्र सहित

भाग-दो (द्वितीय लिफाफा-क्रमांक 01 से 03 तक)

भाग - दो (01)

(संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम : .....
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : .....
- : .....
- (स) दूरभाष (कोड सहित) : .....
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने : .....
- हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है,  
विभाग द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र/पंजीयन का  
क्रमांक एवं दिनांक
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज एक्ट के अंतर्गत संचालित है तो :-  
(अ) समिति/कंपनीज एक्ट का नाम : .....
- : .....
- (ब) समिति/कंपनीज एक्ट के कार्यालय : .....
- का पूर्ण पता : .....
- (स) दूरभाष (कोड सहित) : .....
4. (अ) समिति/कंपनीज एक्ट किस एक्ट के तहत पंजीकृत है : .....
- (ब) समिति/कंपनीज एक्ट का जीवित पंजीयन क्रमांक : .....
- (स) समिति/कंपनीज एक्ट का वैधता दिनांक : .....
- (द) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : .....
- (इ) समिति/कंपनीज एक्ट के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : .....
- (फ) समिति/कंपनीज एक्ट के गर्वन्मेन्ट बॉडी के अध्यक्ष, : .....
- सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता : .....
- मोबाईल नंबर सहित : .....
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस : .....
- प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा  
किस अवधि तक के लिए वैध है के  
बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इनचार्ज का नाम :-  
(अ) इन्चार्ज का नाम : .....
- (ब) शैक्षणिक अर्हता : .....
- (स) अनुभव : .....

**भाग – दो (02)**

(कोचिंग संस्था के फौकल्टी, जिन्हें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग में अध्यापन हेतु भेजा जाएगा)

1. (अ) फौकल्टी का विवरण :- सभी का बायोडाटा संलग्न किया जाये।

| क्र. | शिक्षक का नाम | योग्यता | स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | उत्तीर्ण करने का वर्ष | अनुभव | अध्यापन का विषय |
|------|---------------|---------|--|-----------------------|-------|-----------------|
|      |               |         |  |                       |       |                 |
|      |               |         |  |                       |       |                 |
|      |               |         |  |                       |       |                 |
|      |               |         |  |                       |       |                 |

(ब) छात्रावासी सुविधा का विवरण :-

- i. छात्रावास हेतु कोचिंग संस्था का स्वयं का भवन है अथवा किराये पर— .....  
(यदि किराये पर है, तो अनुबंध की प्रति संलग्न करें)
- ii. कितने छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक आवासीय सुविधा है — .....
- iii. छात्रावासी भवन में कुल आवासीय कमरे की संख्या एवं साईज — .....
- iv. छात्रावास भवन में शौचालय एवं स्नानागार भवन की सुविधा — .....
- v. छात्रावास में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. सिस्टम की सुविधा — .....
- vi. मेस हॉल एवं ब्राऊण्डीवॉल सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण — .....
- vii. छात्रावास संचालन एवं सुरक्षा हेतु नियोजित कर्मचारियों का विवरण — .....

टीप :- संस्था का चयन किये जाने की अनुशंसा के पश्चात् उक्त सुविधाओ का निरीक्षण कराया जायेगा, निरीक्षण में आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुविधाएं सही नहीं पाये जाने पर संस्था का चयन निरस्त किया जा सकता है।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर  
पद मुद्र सहित

(कोचिंग संस्था के सफलता की जानकारी)

- राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 02 वर्षों की उपलब्धि का विवरण प्रतियोगी परीक्षा का नाम, शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या, सफलता का प्रतिशत प्रस्तुत करें)। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मोबाईल नंबर सहित संलग्न की जावें।
- कोचिंग की अवधि – कोचिंग प्रारंभ होने के दिनांक से JEE (MAINS / ADVANCE) तथा NEET 2022 की परीक्षा होने तक की होगी।

4. योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति :-

- अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवश्यक हों)।
- उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री की एक प्रति।
- उत्कृष्ट शिक्षको को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना।
- अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन टेस्ट पेपर एवं मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था।
- छात्र/छात्रा के सुरक्षित आवास एवं भोजन की व्यवस्था का विवरण।

अन्य शर्तें :- संस्था को प्रवेशित अभ्यर्थियों के आधार पर भुगतान की जानी वाली राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान 03 किश्तों में किया जायेगी। प्रथम किश्त 30 प्रतिशत राशि का भुगतान संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों तथा जिला अधिकारी द्वारा निरीक्षण उपरांत किया जायेगा। द्वितीय किश्त 30 प्रतिशत राशि का भुगतान कोचिंग प्रारंभ होने के 03 माह बाद किया जायेगा। तृतीय किश्त 20 प्रतिशत राशि का भुगतान कोचिंग प्रारंभ होने के 06 माह बाद किया जायेगा।

- संस्था के द्वारा कुल चयनित विद्यार्थियों में से कम से कम 20 प्रतिशत विद्यार्थी शासकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने/अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत 20 प्रतिशत अंतिम किश्त का संपूर्ण भुगतान किया जायेगा। 20 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम आने पर अनुपातिक कटौती की जायेगी।
- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए कोचिंग कार्य कराया जाना होगा।
- ऑनलाईन कोचिंग प्रदान करने पर केवल कोचिंग फीस का ही भुगतान किया जायेगा, अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
- युवा कैरियर निर्माण योजना नियमावली (यथा संशोधन 2013) तथा “रूचि की अभिव्यक्ति” में उल्लेखित शर्तों के अनुसार होगा।

भाग =दो (03)

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र के भाग-दो (01) से लेकर भाग –दो (03) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं प्री. मेडिकल तथा प्री इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना एवं “रूचि की अभिव्यक्ति” में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभांति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर/मोहर

सहित

वर्ष 2021-22 में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के संदर्भ में)

| क्र. | कार्य का नाम  | प्रस्तावित राशि समस्त कर(जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह) |            |
|------|---|---|------------|
|      |   | अंको में  | शब्दों में |
| 1.   | प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल के परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग |   |            |

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर  
(पदमुद्र सहित)

- टीप :- 1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।  
2. कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।